मध्यप्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964

(वर्ष 1964 का 29)

[म. प्र. शासन-वन विभाग की अधिसूचना क्र. 14334-X-64 दि. 28 नवम्बर 1964]

दिनांक 23 नवम्बर सन् 1964 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई जो "मध्यप्रदेश राजपत्र, (असाधारण)" दिनांक 28 नवम्बर, 1964 (पृष्ठ 3368) को प्रकाशित की गई-

तेन्दू पत्तों के व्यापार को लोकहित में विनियमन करके और तदर्थ उस व्यापार में राज्य का एकाधिकार उत्पन्न करने हेतु उपबंध करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के पन्द्रहवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जावे:–

धारा 1. संक्षिप्त नाम व विस्तार तथा प्रारंभ - (1) यह अधिनियम **मध्यप्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964** कहलावेगा।

(2) इसका विस्तार क्षेत्र पूरा मध्यप्रदेश होगा।

[1](3) यह ऐसे क्षेत्रों में या क्षेत्र में तथा ऐसे दिनांकों को प्रवृत्त होगा, जिसे या जिन्हें राज्य शासन अधिसूचना द्वारा, उल्लिखित करे।

टिप्पणी–धारा 1

यह अधिनियम पूरे मध्यप्रदेश में दिनांक 28-11-64 से प्रवृत्त हुआ। (अधिसूचना म. प्र. शासन

1. म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 28 नवम्बर 1964 पृष्ठ 3368 द्वारा प्रवृत्त

वन विभाग क्र. 14334/X/64 दिनांक 28 नवम्बर, 1964 द्वारा जारी हुई और दिनांक 28 नवम्बर, 1964 के राजपत्र (असाधारण) में पृष्ठ क्र. 3360-3368 पर प्रकाशित हुई।

धारा 2. परिभाषायें - इस अधिनियम में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

A=(क) अभिकर्ता (Agent) से तात्पर्य धारा "4" के अधीन नियुक्त किये गये अभिकर्ता से है;

B=(ख) संहिता (Code) से तात्पर्य "मध्यप्रदेश लैण्ड रेवेन्यू कोड, 1959" (भूराजस्व संहिता, 1959) (वर्ष 1959 का 20) से है;

C=(ग) "समिति (Committee)" से तात्पर्य धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक राजस्व आयुक्त के संभाग के लिये गठित मंत्रणा समिति से है.

D=(घ) "तेन्दू पत्ता उगाने वाला" (Grower of Tendu Leaves) से तात्पर्य —

(i) (एक) उन क्षेत्रों में जो समय-समय पर भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्र. 16, वर्ष 1927) के अधीन आरक्षित एवं संरक्षित वनों के रूप में गठित किये गये क्षेत्र में उगे तेन्दू के पौधों के संबंध में राज्य शासन से है;

(ii) (दो) उपरोक्त (i) के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्रों में उगाए गये तेन्दू के पौधों के संबंध में —

(a) राज्य शासन जहां तेन्दू का पौधा संहिता की धारा 2 के खण्ड (ब) (z-3) में परिभाषित दखल रहित भूमि पर उगाया जाय;

(b) किसी इकाई के अन्तर्गत आने वाले ऐसे खाते के यथास्थिति भूधारी या भाड़ेदार, या शासकीय पट्टाधारी या ऐसी सेवा भूमि के धारक से है जिसमें तेन्दू के पौधे उगते हों, और उसमें ऐसा प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित है, जो समय-समय पर, उसके माध्यम से तेन्दू के पौधों पर हक का दावा करता हो;

(c) किसी ऐसी इकाई में जिसमें तेन्दू पत्ता उगते हों, यथास्थिति मध्यप्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1953 (क्र. 15 वर्ष 1953) के अधीन भूदान धारक, मध्य-भारत भूदान यज्ञ विधान, 1955 (क्र. 3, वर्ष 1955) के अधीन भूदान कृषक या भूदान पट्टेदार, विंध्य प्रदेश भूदाने यज्ञ अधिनियम, 1955 (क्र. 1 वर्ष 1956) के अधीन भूदान कृषक, तथा राजस्थान भूदान यज्ञ एक्ट, 1954 (क्र. 16, वर्ष 1954) के अधीन अनुदान ग्रहीता से है और उसमें ऐसा प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित है जो समय-समय पर, उसके माध्यम से तेन्दू के पौधों पर हक का दावा करता हो;

(E) "खाता" से तात्पर्य—

(एक) ऐसे भूमि खण्ड से है जिसका भूराजस्व पृथक् से निर्धारित हुआ हो और जो भूमि स्वामी द्वारा धारित हो; और

(दो) भाड़ेदार या शासकीय पट्टाधारी द्वारा धारित भूमि के संबंध में, एक ही पट्टे या एक ही साथ चलने वाली शर्तों के अधीन यथा स्थिति भूमि स्वामी या राज्य शासन से धारण किए गए भूमि खण्ड से है;

(F) "सेवा भूमि के धारक" से तात्पर्य गांव के सेवक के रूप में सेवा करने की शर्त पर भूधारण करने वाले व्यक्ति से है;

(G) "शासकीय पट्टेधारी" से तात्पर्य संहिता की धारा 181 के अधीन राज्य शासन से भूमि धारण करने वाले व्यक्ति से है;

(H) "विनिर्दिष्ट क्षेत्र" (Specified Area) से तात्पर्य धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना में उल्लिखित क्षेत्र से है;

(I) "भाड़ेदार" (Tenant) से तात्पर्य संहिता के चौदहवें अध्याय के अधीन भूमि स्वामी से मौरूसी काश्तकार के रूप में धारण करने वाले व्यक्ति से है;

(J) "भूधारी" (Tennure holder) से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो राज्य शासन से भूमि धारण करता हो और जो संहिता के उपबंधों के अधीन भूमि स्वामी हो या भूमि स्वामी माना गया हो;

(K) "इकाई" (Unit) से तात्पर्य उल्लिखित क्षेत्र के उस उप-खण्ड से है जो धारा 3 के अधीन इकाई के रूप में गठित किया गया हो;

(L) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इस अधिनियम में प्रयोग में लाई गई हों, किन्तु परिभाषित न की गई हों और जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्र. 16, वर्ष 1927) में परिभाषित की गई हों, वही तात्पर्य होगा जो उनके लिये उस अधिनियम में दिया है।

टिप्पणी

तेन्दू पत्तों की वाणिज्यिक सामग्री (Commercial Commodity) एक अलग श्रेणी की है वह ऐसी वाणिज्यिक सामग्री से भिन्न है जो कच्चे माल की सामग्री (Raw material) होती है। अतएव तेंदू पत्तों के व्यापार को नियंत्रित एवं नियमन करने के लिए यह अधिनियम 1964 लाया गया है तेंदू पत्ता राज्य की विशाल प्राकृतिक उपज है और राज्य में तेंदू पत्ते के व्यापार का एकाधिकार यह कानून निहित करता है। यह कानून सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में नोटीफिकेशन क्र. 14334-X-64 दिनांक 28-11-1964 (राजपत्र असाधारण म. प्र. दि. 28 नवम्बर 1964 पृ. 3360) द्वारा प्रवृत्त किया गया है। इस कानून के द्वारा राज्य सरकार को तेंदू पत्तों के अन्य डीलरों से भिन्न तेंदू पत्ते के डीलर के रूप में माना जा सकता है यह न्यायोचित होगा इसलिये राज्य सरकार अन्य माल की खरीद बिक्री पर जो लेव्ही लगाती है उससे भिन्न रेट पर तेंदू पत्ते के खरीद बिक्री पर राज्य सरकार कर लगाती है इस बात की सख्ती से न्यायोचित होने के आशय से छानबीन आवश्यक नहीं है। तेंदू पत्ता अन्य कच्चे माल के समान नहीं है। उनका एक मात्र उपयोग बीडी के निर्माण में तम्बाकू की उपभोग योग्य पैकिंग सामग्री अथवा वारदाना होना प्रतीत होता है, ठीक वैसे जैसे सिगरेट के निर्माण में सिगरेट-कागज का उपयोग होता है। इस प्रकार तेंदू पत्ता वाणिज्यिक वस्तु का एक भिन्न वर्ग है और राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उन पर कच्चा माल कहलाने वाली अन्य वाणिज्यिक वस्तुओं के वर्ग से भिन्न कर विनिर्धारित करे (पैरा 15), धारा 19 स्टेट के हित में तेंदू पत्ते की मोनोपोली का सृजन करती है यह अनुच्छेद 14 संविधान का उल्लंघन नहीं है। ***(अनवर खां महबूब कं.*** वि. ***स्टेट म.प्र.*** *(1966) 2* ***सुप्रीम कोर्ट रि.*** *(SCR) 40-* अनुसरित), धारा 8 (1) म. प्र. विक्रय कर अधिनियम 1958 के अधीन भिन्न कर लगाया जाना संविधान के विपरीत नहीं है। म.प्र. विक्रय कर अधिनियम, 1958 की धारा 8 - Rate of tax for raw material की उपधारा (1) म. प्र. संशोधन अधिनियम तथा वैधीकरण अधिनियम क्र. 23/1967 (प्रभावी दि. 21 दिसम्बर 1967) तथा संशोधन अधिनियम म. प्र. क्र. 9/1968 प्रभावी दि. 15 अप्रैल 1968 तथा संशोधन 1971 एक्ट से फिर धारा 8(1) विक्रय कर अधिनियम संशोधित की गई जो 6 मई 1971 से प्रभावी की गई।

(1) इसका परिणाम यह हुआ कि 1 अप्रैल 1959 से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या

कोई अन्य विभाग या कार्यालय जो खरीद, बिक्री, सप्लाई (पूर्ति प्रदाय) या माल का वितरण प्रत्यक्ष रूप से या अन्यथा नकदी प्रतिफल या अन्य प्रतिफल (Consideration) के लिये करते हैं तो वे म. प्र. विक्रय कर अधिनियम के अधीन कानून के आशय के लिये "डीलर" समझे जायेंगे इसके बावजूद भी कि वह खरीद, बिक्री, सप्लाई या वितरण माल का कारोबार के दौरान किया जाय या नहीं,

(2) 15 अप्रैल 1959 से तेंदू पत्ते- म. प्र. विक्रय कर अधिनियम की धारा 8 के प्रयोजनों के लिये "कच्चे माल" (Raw material) के रूप में होना या माने जाना बन्द या समाप्त (Ceased to be raw material) हो गये और धारा 6 सहपठित अवशिष्ट (Residuary entry) प्रविष्ठि No. 1, पार्ट VI अनुसूची II- के अधीन 7 प्रतिशत की दर पर कर के वसूली योग्य हो गये,

(3) मई 6, 1971 से धारा 8 विक्रय कर अधिनियम म. प्र. के उपबन्ध किसी माल के राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा या उस विभाग के प्राधिकारी कार्यालयों द्वारा किये गये किसी विक्रय पर लागू होना बन्द या समाप्त हो गये किन्तु जहां वन विभाग के या उसके किसी आफिस के रजिस्टर्ड डीलर द्वारा माल की खरीदी की गई हो और उसके द्वारा उपयोग कच्चे माल के रूप में या किसी अन्य माल के निर्माण के विक्रय मध्यप्रदेश के भीतर या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में या भारत के क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान किया गया हो, ऐसा डीलर कच्चे माल पर लगने वाला 2 प्रतिशत कर तथा ऐसे माल पर अनुसूची II में वर्णित पूरी दर पर लगने योग्य कर की राशियों में अन्तर की राशि के मुजराई (Set off) का हकदार होगा,

(4) राज्य सरकार के वन विभाग के या उस विभाग के किसी कार्यालय के अधीन रजिस्टर्ड डीलर द्वारा की गई खरीदारी पर तथापि मुजराई राशि की योग्यता नहीं रहती है यद्यपि ऐसे मुजराई पाने की वर्णित शर्तों को पूरा भी कर दिया गया हो,

संविधान के अनुच्छेद 286 (3), 301 तथा 304 केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 के अधीन सेन्ट्रल एक्साइज एण्ड साल्ट एक्ट, 1944 में तेंदू पत्ते विशेष माल घोषित नहीं किये गये। तेंदू पत्ते म. प्र. के बाहर उच्चतर दर पर बेचे जाने पर संविधान के अनुच्छेद 301 तथा 304 का अधिक्रमण नहीं होता है- (1970) 1 SCR (सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर) 700

स्टेट केरल वि. ***अब्दुल कादिर (अनुसरित), पैरा** 17, 20 **तथा** 21, = 1987 RN, 1 = 1987 JLJ 1= **ए.आय.आर.** 1986 **सुप्रीम कोर्ट** 1085- **ब्रजलाल मनीलाल एण्ड कम्पनी (मेसर्स) तथा अन्य*** वि. ***स्टेट म.प्र. तथा अन्य - (जस्टिस ए.पी. सेन तथा जस्टिस डी.पी. मदोन - सुप्रीम कोर्ट)** = 1986 **करेन्ट टैक्स जजमेन्ट्स** (CTJ) 386 **सुप्रीम कोर्ट,***

जहां ठेकेदारों के करारनामे में लिखी रेट्स-नोटीफिकेशन में वर्णित रेट्स से कम हों वहां सन् 1972 के लिए नवीनीकरण कराने की हकदारी नहीं रहती है - मध्यप्रदेश तेंदू पत्तों के निवर्त्तन हेतु न्यूनतम दर निःशेषयन अध्यादेश 1972 (2/1972) का प्रभाव यह है कि समस्त निबन्धन जो अध्यादेश के उपबन्धों के असंगत हों वे हटाये गये माने जायेंगे और केवल अध्यादेश में वर्णित रेट्स ही खरीदार के 1972 वीं वर्ष के करार के लिए अभिभावी (Prevail) रहेंगे। टेण्डर नोटिस का क्लॉज 25 (1) और करारनामे का क्लॉज 2 (1) के निर्वचन पर विवादित प्रश्न का निपटारा करना होगा। आर्डिनेन्स का सेक्शन (3) का Non Obstante clause या enacting clause इस प्रश्न को deal नहीं करते हैं कि खरीददार करार के नवीनीकरण के लिए कब हकदार होगा? "इस वर्ष" अभिव्यक्ति का करार में आशय करार के प्रारंभ होने के वर्ष से है। आर्डिनेंस का वास्तव में प्रभाव यह है कि खरीदार के 1972 वर्ष के लिए करार के नवीनीकरण के लिए अन्यथा हकदार होने पर भी उसे अध्यादेश में संलग्न तालिका में बताई रेट्स के भुगतान पर राजी होने पर ही नवीनीकरण मंजूर किया जा सकेगा- ***(गनेश ट्रेडिंग कं.*** वि. ***स्टेट म. प्र., 1972 म.प्र. ला.ज. 854 = 1972 ज.ला.ज. 679 बहुमत निर्णय)***

तेंदू पत्ते के व्यापार में - पत्तों के खरीद बिक्री का व्यवहार रहता है खरीदे गए तेंदू पत्तों का

परिवहन किया जाना उस व्यवहार का अभिन्न अंग नहीं है *म.प्र. राज्य* वि. *मेसर्स छोटा भाई जेठा भाई- 1972 म.प्र. ला.ज. 641 सुप्रीम कोर्ट (AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट 129- अनुसरित) ;*

-धारा 5 (10) परिवहन के विरुद्ध प्रतिषेध का आशय उन तेंदू पत्तों के परिवहन के विरुद्ध निर्देश है जो राज्य के भीतर ऊगे हों- मध्यप्रदेश स्टेट के बाहर के स्टेट से विनिर्माताओं द्वारा तेंदू पत्तों का आयात प्रतिबन्धित या प्रतिषिद्ध होना कानून या नियमों में कहीं भी नहीं है *– मेसर्स छोटा भाई जेठा भाई* वि. *म.प्र. राज्य - 1968 ज.ला.ज. 82 = 1968 म.प्र.ला.ज. 24 = ए.आय.आर. 1968 म.प्र. 127 (डीबी हाईकोर्ट म.प्र.)*

विनिर्दिष्ट कुछ राजस्व जिलों में विनिर्दिष्ट वन उपज के लिए कानून प्रवृत्त–

(1) यह कानून - राजस्व जिलों- सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर तथा टीमकगढ़ के क्षेत्रों में- वन उपज,

(2) इमारती लकड़ी (1) सागौन (Tactona grandis)

” (2) साल (Shorea Robusta)

” (3) बीजा (Pterocarpus Marsupium)

” (4) शीशम (Dalbergia Latifolia)

के लिए नोटीफिकेशन क्र. 1290-986-X-3-72 दि. 14-9-1972 (म. प्र. राजपत्र-असाधारण - दि. 14-9-1972 पृष्ठ 2300) के अधीन प्रवृत्त हुआ।

धारा 3. इकाइयों का गठन- राज्य शासन प्रत्येक उल्लिखित क्षेत्र को उतनी इकाइयों में विभाजित कर सकेगा जितनी कि वह उपयुक्त समझे।

धारा 4. राज्य शासन द्वारा एजेन्टों की नियुक्ति तथा शर्तें – (1) राज्य शासन, अपनी ओर से तेन्दू पत्तों के क्रय तथा व्यापार के हेतु भिन्न-भिन्न इकाइयों के लिये अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकेगा तथा कोई भी ऐसा अभिकर्ता एक से अधिक इकाइयों के लिये नियुक्त किया जा सकेगा।

[1](2) अभिकर्ता की नियुक्ति संबंधी निर्बन्धन तथा शर्तें ऐसी होंगी जैसी शासन द्वारा समय-समय पर अवधारित की जावे।

धारा 5. तेन्दू पत्ते के क्रय या परिवहन पर निबन्धन- (1) किसी भी क्षेत्र में धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन सूचना जारी होने पर–

(क) राज्य शासन;

(ख) इस संबंध में लिखित रूप से प्राधिकृत किये गये शासन के किसी पदाधिकारी; या

(ग) जिस इकाई में पत्ते उगाये गये हों उस इकाई से संबंधित अभिकर्ता को छोड़कर कोई भी अन्य व्यक्ति तेंदू पत्तों का न तो क्रय करेगा और न परिवहन करेगा।

[1]**व्याख्या- 1-** (एक) राज्य शासन से या पूर्वोक्त शासकीय पदाधिकारी से या अभिकर्ता से या धारा 12A के अन्तर्गत किया गया तेन्दू पत्तों का क्रय इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया क्रय नहीं समझा जावेगा।

(दो) खाते में कोई हित न रखने वाले किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिसने कि ऐसे खातों में उगाये गये तेन्दू पत्तों का संग्रह करने का अधिकार अर्जित कर लिया हो, यह समझा जायेगा कि उसने इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में ऐसे पत्तों का क्रय किया है।

1. [धारा 4(2), संशोधन अधिनियम क्र. 7/1989 (म.प्र. राजपत्र असाधारण दिनांक 17-4-1989 पृष्ठ 737 तथा पृष्ठ 739-741 द्वारा संशोधित]

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी—

(क) तेन्दू पत्ते को उगाने वाला, अपने पत्तों का परिवहन, ऐसी इकाई के भीतर, जिसमें तेन्दू पत्ते उगे हों, किसी स्थान से उस इकाई में किसी स्थान तक कर सकेगा, और

[1](ख) "ऐसे तेंदू पत्तों का, जिनका क्रय राज्य शासन से तथा उक्त उपधारा में उल्लिखित किये गये किसी पदाधिकारी या अभिकर्ता से किसी व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर वीडियों के निर्माण के लिये या किसी व्यक्ति द्वारा राज्य के बाहर विक्रय के लिए 1. धारा 5 के संशोधन म. प्र. तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम 7 वर्ष 1989 द्वारा किये गये (राजपत्र दि. 17-4-89 पृ. 739-41) किया हो, ऐसे व्यक्ति द्वारा इकाई के बाहर परिवहन उस संबंध में, ऐसे प्राधिकारी द्वारा, ऐसी रीति में और ऐसी फीस की देनगी की जाने पर, जैसा कि विहित किया जाये, जारी किये जाने वाले अनुज्ञा-पत्र के निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार किया जा सकेगा। विभिन्न प्रकार की परिवहन गाड़ियों के लिये फीस को विभिन्न दरें विहित की जा सकेंगी।"

(3) तेन्दू पत्ते का विक्रय करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति उन्हें पूर्वोक्त शासकीय पदाधिकारी या अभिकर्ता को इकाई के भीतर स्थित किसी भी संग्रहागार (फड़) में बेच सकेगा।

टिप्पणी- धारा 4, 5

(1) **धारा 4. तेंदू पत्तों के संकलन व्यय के बारे में अधिसूचना-** अधिसूचना क्र. 2396-10-67 दि. 10 मार्च 1967- 1 जुलाई 1966 से 30 जून 1967 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान शासकीय वन या भूमि से तेंदू पत्ता एकत्रित करने हेतु नियोजित व्यक्तियों को - तेंदू पत्तों की 50 पत्ते वाली 100 गड्डी या 5,000 तेंदू पत्तों के लिए संकलन व्यय 1 रुपया 20 पैसे होने की अधिसूचना प्रकाशित की गई (राजपत्र म. प्र. असाधारण दि. 10-3-1967 पृष्ठ 975),

(2) अधिसूचना क्र. 1133-X-69 दि. 12 फरवरी 1969 (राजपत्र असाधारण म. प्र. दि. 12 फरवरी 1969 पृष्ठ 171)

1 जुलाई 1968 से 30 जून 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान शासकीय वन या भूमि से तेंदू पत्ता संकलन करने हेतु नियोजित व्यक्तियों को 50 पत्तों वाली 100 गड्डी या 5000 पत्तों के लिए 1.50 डेढ़ रुपया संकलन व्यय पूरे म. प्र. में लागू होने की अधिसूचना प्रकाशित हुई।

(3) 1 जुलाई 1969 से 30 जून 1970 के दौरान तेंदू पत्ते का संकलन व्यय नियोजित व्यक्तियों को संकलन हेतु 50 पत्तों वाली 100 गड्डी या 5000 पत्तों पर 1.50 डेढ़ रुपया ही लागू रखा गया- [अधिसूचना क्र. 558-X-70 दिनांक 16-17 जनवरी 1970 (राजपत्र म. प्र. असाधारण दिनांक 16-17 जनवरी 1970 पृ. 229]

(4) अधिसूचना क्रमांक 5686-X-70 दिनांक 7 जुलाई 1970 (राजपत्र म.प्र.-असाधारण दिनांक 8 जुलाई 1970 पृ. 1252)

तेंदू पत्तों के बेचे जाने के लिए टेन्डर नोटिस क्र. 8004-X-69 दिनांक 26 नवम्बर 1969 की शर्त के क्लाज 25 (1) के अधीन राज्य सरकार (म. प्र.) प्रत्येक सरकल के लिए बेचे गये तेंदू पत्ते की

1. धारा 4 एवं 5 के संशोधन म.प्र. तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम (7 वर्ष 1989) द्वारा किये गये। (राजपत्र दिनांक 17-4-89 पृष्ठ 739-41) म.प्र. असाधारण)- धारा 5 की उपधारा (2) का क्लाज (बी) का लोप किया गया तथा क्लाज (सी) को (बी) के रूप में पुनः संख्यांकित (re-numbered) किया गया।

इकाई 1970 के लिए नवीनीकरण वर्ष 1971 के लिए नीचे लिखी रेट्स निर्धारित करती है। टेन्डर नीलामी या सौदे द्वारा बेचे गये तेंदू पत्तों की इकाई 1970 के लिए नियुक्त क्रेता - नवीनीकरण का आवेदन पेश कर सकेंगे :-

	सरकल (Circle) (1)	स्वीकृत क्रय मूल्य (2)
1.	पूरे बस्तर वृत्त	65 रु. या उससे अधिक प्रति मानक बोरे,
2.	पूरे रायपुर वृत्त तथा बिलासपुर, उत्तरी बिलासपुर तथा इसी वृत्त का रायगढ़ खण्ड	55 रु. या उससे अधिक प्रति मानक बोरे,
3.	उत्तरी, दक्षिणी सरगुजा बिलासपुर वृत्त का जशपुर खंड तथा बचत वृत्त	45 रु. या उससे अधिक प्रति मानक बोरे

(5) अधिसूचना क्र. 7117-X-71 दि. 28 दिसम्बर 1971 (मप्र. राजपत्र (असाधारण) दि. 28 दिसम्बर 1971 पृष्ठ 1910)

1 जुलाई 1971 से प्रारंभ होकर 30 जून 1972 के वर्ष के दौरान तेंदू पत्तों के संकलन व्यय, 50 पत्तों वाली 100 गड्डी या 5000 पांच हजार पत्तों पर रु. 1.60 (एक रु. साठ पैसे) लागू होने की अधिसूचना प्रकाशित की गई।

(6) अधिसूचना क्र. - एफ 26-40-75-3-X-3 दि. 17 दिसम्बर 1975 (म. प्र. राजपत्र असाधारण दि. 17-12-1975 पृष्ठ 2750) द्वारा वर्ष 1 जुलाई 1975 से प्रारंभ होकर 30 जून 1976 के लिये तेंदूपत्तों के संकलन व्यय की दर 50 तेंदू पत्तों की 100 गड्डी या 5000 पत्रों के लिए रु. 2.10 (दो रुपये, दस पैसे) लागू होने की घोषणा की गई।

(7) धारा 4 के अधीन अभिकर्त्ता नियुक्त करने तथा अभिकर्त्ता नियुक्ति को रद्द करने के प्राधिकार राज्य शासन ने क्षेत्रीय वृत्त के प्रभारी समस्त वन संरक्षकों (Conservator of Forests) को अधिसूचना क्र. 3974-X-(2)-70 दिनांक 17 अप्रैल 1970 के अधीन प्रदान किये तथा विभागीय अधिसूचना क्र. 246 -X-65 दिनांक 12 जनवरी 1965 को निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया :-

उक्त अधिसूचना क्र. 246-X-65 दिनांक 12 जनवरी 1965 में संलग्न अनुसूची क्रमांक 2 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की गईं अर्थात् :-

अनुसूची क्र. 2

सीरियल नं. (1)	शक्तियां (2)	प्राधिकारी (3)	शर्तें तथा निबन्धन (4)
2.	अधिनियम की धारा 4 के अधीन अभिकर्त्ता नियुक्त करने और उनकी नियुक्ति रद्द करने की शक्तियों के प्राधिकार	क्षेत्रीय वृत्त के प्रभारी वन-संरक्षक	

धारा 5 के अधीन अधिसूचना :

[धारा 5 की उपधारा (1) के क्लाज (बी) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए म. प्र. राज्य

सरकार ने अधिसूचना क्र. 6505-X-65 दिनांक 29-5-1965 (म. प्र. राजपत्र असाधारण दि. 29-5-1965 पृ. 1615) के अधीन समस्त वन अधिकारियों को जो फारेस्टर की पद श्रेणी से नीचे नहीं हों तथा डिवीजनल फारेस्ट ऑफिसर की पद श्रेणी से ऊपर श्रेणी के नहीं हों- तेंदू पत्तों की खरीद करने तथा परिवहन (Transport) करने की शक्ति प्रदान की है।]

म. प्र. राज्य लघु वन उपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित की अभिकर्त्ता (Agent) के रूप में नियुक्ति तेंदू पत्ते व्यापार (विनियमन) अधिनियम 1964 के उद्देश्यों के निर्वहन में सहायक एवं सुसंगत है। यह संघ सहकारिता अधिनियम 1960 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है यह प्रायमरी सोसाइटीज की सहायता से एक शीर्ष निकाय होन के नाते कारोबार करती है। इसके अन्तर्गत प्राथमिक कृषि साख सोसाइटीज अनुसूचित जन जाति क्षेत्रों में जन जातियों को शामिल करके कार्य संचालन कर रही है। ये संघ पिछड़ी वर्ग के क्षेत्रों में अनुसूचित जन जाति वासी क्षेत्रों में 17 जिलों में तेंदू पत्तों के संग्रहण का कार्य उचित पारिश्रमिक देकर करा रही है जिसका प्रयोजन आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना है अतएव सहकारी संघ के अभिकर्त्ता के रूप में पूर्व आवेदन आमंत्रित किये बिना- किया जाना बिल्कुल अवैध नहीं बल्कि कानून के उद्देश्य के अनुकूल हैं। साथ ही इसमें मप्र. राज्य शासन के विरुद्ध करारात्मक वचन निबंध (Promissory Estoppel) भी लागू नहीं होता क्योंकि शासन ने इस धारा 4 के तहत कोई Promise अभिकर्त्ता की नियुक्ति के सिलसिले में नहीं किया है। संघ पर राज्य सरकार का नियंत्रण है और सहकारी संघ के लाभ को 2% प्रतिशत तक प्रतिबंधित किया है। मुख्य लाभ राज्य सरकार ही उठाती है। (AIR 1963 SC 1047)- अनुसरित, (AIR 1986 SC 806 referred),

राज्य सरकार ने करारनामे के क्लॉज 29 के अधीन आवेदक को यद्यपि नवीनीकरण कराने का प्रावधान रखा है किन्तु आवेदक की जो बोली राज्य सरकार ने जिस Unit के रूप में स्वीकार की थी, उसी को आवेदक ने (Re-grouped) पुनर्गठन का रूप दे दिया अतएव वर्तमान दशा में उसे नये पुनर्गठित इकाई के नवीनीकरण का प्रारंभिक करार के क्लाज 29 की बिना पर प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ***(हरी ओम*** वि. ***स्टेट म.प्र., ए.आय.आर. 1987 म.प्र. 212)***

संविधान का अनुच्छेद 14 - यह अपेक्षा करता है कि राज्य सरकार के कार्यों में मनमानापन स्वच्छंदता और विभेद कारक नीति नहीं हो बल्कि उसके कार्यों में युक्तियुक्त विवेक और एक ही परिस्थिति और समान गुण-धर्म एवं एक जैसे अवसर पर समान व्यवहार करने की नीति परिलक्षित हो और उसकी नीति में लोकहित और युक्तियुक्तता पर आधारित विवेक रहना चाहिये और राज्य सरकार की औद्योगिक नीति के अनुरूप ही विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का सृजन होना चाहिये।

जहां टेन्डर देने वालों के प्रस्तावों में निविदाओं के शब्दों में तथा अंकों में काट-छांट हेरा फेरी की गई हो वहां यह न्यायोचित है कि ऐसी निविदाओं को नामंजूर किया जाय। अतएव ऐसी काट छांट-हेरा फेरी की गई निविदाओं की की गई अस्वीकृति पूर्णतः वैध है। सहकारी संघ राज्य सरकार का एजेन्ट होने के नाते राज्य सरकार की नीतियों के निर्वहन के लिए जिम्मेवार है इस सहकारी संघ के प्रबंधक संचालक मुख्य वन संरक्षक, सहकारी संघ की प्रतिनियुक्ति पर दिये गये हैं अतएव यद्यपि उनकी निविदाओं पर विचार की बैठक में भागीदारी आवश्यक थी लेकिन केवल इस कारण कि प्रबंध संचालक की अनुपस्थिति से हस्ताक्षर निविदाओं की अस्वीकृति के विनिश्चय में नहीं हो सके, बैठक अवैध करार नहीं दी जा सकती जिन निविदाओं की अस्वीकृति की गई है उनके डिफाल्ट से राज्य सरकार/ अभिकर्त्ता सहकारी संघ को वास्तविक कोई हानि नहीं हुई है अतएव रकम सुरक्षा निक्षेप (Security deposit) की समपहरण (Forfeiture) की कार्यवाही आवश्यक नहीं है- ***हाजी अब्दुल सत्तार*** वि. ***म.प्र. राज्य लघु वन उपज सहकारी संघ = ए.आय.आर. 1989 म.प्र. 7 = 1988 म.प्र.ला.ज. 810 = 1989 JLJ 185)***; (कानून के विरुद्ध विवंध नहीं होता - ***सत्यप्रकाश वि. बालकिशन - 1995 राजस्व निर्णय 75 हाईकोर्ट)*** ।

तेंदू पत्ता के नीलाम में बोली लगाने वाला - नीलाम धन डिपाजिट करने में त्रुटिकर्त्ता रहा इस कारण दुबारा नीलाम में कमी रही। इस कमी रकम की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में नहीं की जा सकती- ***(सुमति विनोदीलाल (फर्म)*** वि. ***म.प्र. राज्य- 1995 राजस्व निर्णय 46 हाईकोर्ट*** (जस्टिस टी.एस. दोआविया) (तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन)- नियमावली-नियम 3 (10) (एक) (तीन) तथा (चार) एवं

धारा 155 (ख) म. प्र. भू-राजस्व संहिता 1959); 1971 राजस्व निर्णय 132 पैरा 8 डीबी हाईकोर्ट ***के.पी. चौधरी*** वि. ***स्टेट म.प्र.*** निर्णय सुप्रीम कोर्ट से केस रिमाण्ड होने पर हाईकोर्ट म. प्र. ने लिया- रिमाण्ड केस ***के.पी. चौधरी*** वि. ***स्टेट म.प्र.- ए.आय.आर. 1967 सु.को. 203)*** संविधान के अनुच्छेद 299 के अधीन संविदा की पूर्ति होना आवश्यक है जिसका अभिलेख पर कोई आधार उपलब्ध नहीं-हाईकोर्ट को रिमाण्ड किया गया) (1971 रा. नि. 132 हाई. इस मामले में in para materia तदनुरूप होने से अनुसरित किया गया) ;

इस कानून द्वारा म. प्र. राज्य के पक्ष में तेंदू पत्ते की एकाधिकारिता (Monopoly) कायम की गई इस कारण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं होता है- ***(ब्रजलाल मनीलाल एण्ड कं. (मेसर्स)*** वि. ***म.प्र.राज्य - 1987 राजस्व निर्णय, 1 (सुप्रीम कोर्ट) (लाल राधौशाह*** वि. ***स्टेट म.प्र., ए.आय.आर. 1967 म.प्र. 218=1967 ज.लाज 569=1967 म.प्र.लाज 23),***

म. प्र. तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964,- म. प्र. राज्य सरकार की नीति मजूदर श्रमिकों के हित के विपरीत नहीं है तथा लोक हित के विरुद्ध नहीं है राज्य सरकार के तत्सम्बन्धी विभिन्न वन अधिनियम नियमों में अनेक प्रावधान हैं। यह कहना पर्याप्त है कि उन प्रावधानों में अपकृत्य तथा भ्रष्ट आचरण करने वाले लोगों तथा भ्रष्ट कार्य करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के उपबन्ध किये गये हैं और यदि ऐसे व्यक्तियों के दुष्कृत्यों या भ्रष्ट कार्यों से राज्य को राजस्व में कोई हानि पहुंचाई जाती है तो राज्य सरकार उनके कार्य के विपरीत-प्रभावकारी कार्यवाही कर सकती है लेकिन तेंदू पत्ता व्यापार में राज्य द्वारा किये गये कार्य में यदि कहीं कुप्रबन्ध, हानि कर कार्य या भ्रष्ट आचरण पाया जाता है तो इस कारण राज्य सरकार की नीति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और उसे लोक हित के विरुद्ध या exchequer को हानि पहुंचाने वाली नहीं कहा जा सकता - ***(एच.एन. सुन्दरेश*** वि. ***स्टेट म.प्र. - 1989 म. प्र. जुडीशियल रिपोर्टर (हाईकोर्ट) 474 (477), (हाईकोर्ट) ;***

जहां निविदाकर्त्ताओं की नियुक्ति उनकी क्रय सामर्थ्य (Purchasing Capacity) को देखते हुए की जाती है तब उच्चतर बोली के ऑफर को अग्रिमता या अधिमान (Priorities) देना (Legal) वैध है- विभिन्न Lots में विभिन्न निविदाकर्त्ताओं के Offers में किसी Offer की स्वीकृति के लिए जो नीति अपनाई गई वह ठीक है- ***मुकेश एण्ड कं. टूबैको प्रोडक्ट्स (प्रायवेट) लिमिटेड*** वि. ***म.प्र. राज्य लघु वन उपज सहकारी संघ तथा अन्य, 1990 ज.ला.ज. 202 (206);***

सरकार से खरीदे गए तेंदू पत्तों के बैग्स से अधिक बैग्स क्रेता के कब्जे में पाये जाने पर अतिरिक्त बैग्स का मूल्य सरकार लेने की हकदार है। तथ्यात्मक प्रश्नों पर रिट (Writ-याचिका) सुनवाई योग्य नहीं केवल सिविल कोर्ट समुचित न्याय-मंच है ऐसे विनिश्चय पर अन्यथा हस्तक्षेप उचित नहीं- ***(भागू भाई विराज लाल*** वि. ***म.प्र. राज्य, 1992 Supp. (1) सुप्रीम कोर्ट केसेज 707)***

(स्टेट म.प्र. वि. ***गट्टू लाल कैलाशचन्द्र जैन - 1992 FLT, 141)*** नियम 2 (10) म. प्र. तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966 - विहित स्टैन्डर्ड गड्डी की अपेक्षा कथित रूप से अधिक पत्ते लेने पर खरीदार के विरुद्ध कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने कहा कि कानूनी या संविदा के अधीन प्रावधान के अभाव में कार्यवाही नहीं हो सकती। इस कमी की ओर हाईकोर्ट ने विधि विभाग को ध्यान दिलाया कि इस Lacuna को Plug किया जाय-जस्टिस डॉ. टी. एन. सिंह हाईकोर्ट (म. प्र.)

धारा 6. मंत्रणा समिति का गठन- (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक राजस्व आयुक्त के संभाग में विक्रय के हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले तेन्दू पत्ते, राज्य शासन, या उसके किसी प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता द्वारा, किस उचित तथा युक्तियुक्त मूल्य पर क्रय किये जायें इसे समय-समय पर निश्चित करने हेतु, राज्य शासन पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाले तथा 30 को समाप्त होने वाले प्रत्येक वर्ष के लिये, मंत्रणा समिति गठित करेगा, जिसमें अधिक से अधिक 9 सदस्य होंगे, कि राज्य शासन द्वारा, समय-समय अधिसूचित किये जायें :

परन्तु उनमें से दो सदस्य तेन्दू पत्ता के व्यापारियों में से या बीड़ी के निर्माताओं से होंगे और चार सदस्य राज्य शासन को छोड़कर, तेन्दू के अन्य उगाने वालों में से होंगे।

(2) समिति का यह भी कर्तव्य होगा कि वह राज्य शासन को ऐसे अन्य विषयों के सम्बन्ध में सलाह दें जो कि उसे राज्य शासन द्वारा निर्दिष्ट किये जायें।

(3) समिति का काम-काज ऐसी रीति से संचालित किया जावेगा जो कि विहित की जायें।

(4) समिति का सदस्य ऐसे भत्तों (Allowances) का हकदार होगा, जो कि विहित की जायें।

(5) समिति, राज्य शासन को अपनी सलाह ऐसी कालावधि के भीतर देगी जैसी कि राज्य शासन प्रत्येक समिति के लिये इस सम्बन्ध में उल्लिखित करे।

धारा 7. राज्य शासन समिति के परामर्श से मूल्य निश्चित करेगा- राज्य सासन धारा (6) के अधीन गठित समिति से परामर्श करने के पश्चात् वह मूल्य निश्चित करेगा, जिस पर कि किसी ऐसे वर्ष के दौरान, जिसके लिये धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन समिति गठित की गई हो, किसी राजस्व आयुक्त के संभाग में, राज्य शासन को छोड़कर तेन्दू पत्तों के अन्य उगाने वालों से, उसके द्वारा या उसके किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, या उसके अभिकर्ता द्वारा तेन्दू पत्तों का क्रय किया जावेगा और [1][वह उसे राजपत्र में तथा ऐसी अन्य रीति में जो शासन द्वारा इस हेतु अधिसूचित की जावे प्रकाशित करेगा] और इस प्रकार निश्चित किया मूल्य उस वर्ष के दौरान परिवर्तित नहीं किया जायेगा, जिससे वह मूल्य संबंधित हो :

परन्तु यदि समिति धारा 6 की उपधारा (5) के अधीन उल्लिखित कालावधि के भीतर या पन्द्रह दिन से और अनधिक ऐसी और कालावधि के भीतर, जैसी कि राज्य शासन समनुज्ञात (Allow) करे, सलाह न दे, तो राज्य शासन समिति की परामर्श के बिना ही मूल्य निश्चित करने के लिए अग्रसर हो सकेगा :

परन्तु यह भी कि भिन्न-भिन्न इकाइयों के भिन्न-भिन्न मूल्य निश्चित किये जा सकेंगे और ऐसा करने में अन्य बातों के साथ निम्नांकित बातों का ध्यान रखा जायेगा :—

(क) तेन्दू पत्तों के मूल्य जो पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान इकाई में समाविष्ट क्षेत्र के संबंध में प्रचलित रहे हों या इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अधीन निश्चित किये गये हों।

(ख) इकाई में उगे पत्तों की विशेषता (Quality) पर,

(ग) इकाई में उपलब्ध परिवहन सुविधायें,

(घ) परिवहन व्यय, और

(ङ) इकाई में प्रचलित अकुशल श्रमिकों (Unskilled Labour) के लिये प्रचलित मजदूरी दर।

धारा 8. संग्रहागारों का खोला जाना तथा संग्रहागारों (फड़ों) पर मूल्य सूची आदि का प्रकाशन- प्रत्येक इकाई में ऐसी संख्या में तथा ऐसे स्थानों पर, जैसा कि राज्य शासन, तेन्दू पत्ता उगाने वालों की सुविधा का विचार करते हुए निर्देशित करे, संग्रहागार (फड़ें) स्थापित किए जायेंगे और धारा 7 के अधीन राज्य शासन द्वारा निश्चित की गई तेन्दू पत्तों की मूल्य सूची, काम-काज के घण्टे, उस सूचना फलक पर प्रमुख रूप से संप्रदर्शित किए जायेंगे जो कि इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक ऐसे संग्रहागार में रखा गया हो।

धारा 9. राज्य शासन या अभिकर्ता तेन्दू पत्तों का क्रय करेगा- (1) राज्य शासन या उसका प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता काम-काज के घंटों के भीतर संग्रहागार (फड़) में विक्रय के लिए प्रस्तुत किए गए तेन्दू पत्ते धारा 7 के अधीन निश्चित किए मूल्य पर खरीदने को बाध्य होगा।

(2) उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता द्वारा उसके पत्तों के अस्वीकार कर दिए जाने के कारण परिवेदित (दुखी) कोई भी व्यक्ति ऐसी अस्वीकृति के पन्द्रह दिन के भीतर, ऐसी इकाई पर, जिसमें कि पत्ते उगे हों क्षेत्राधिकार रखने वाले वन मण्डलाधिकारी

1. [धारा 7 में संशोधन- अधिनियम क्र. 7/1989 (राजपत्र असाधारण दि. 17-4-1989 पृ. 739-741) द्वारा]

या इस संबंध में राज्य शासन द्वारा सशक्त किए जा सकने वाले अन्य पदाधिकारी को मामला निर्दिष्ट कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन शिकायत प्राप्त होने पर, यथास्थिति वन मण्डलाधिकारी, या ऐसा अन्य पदाधिकारी, उसी स्थान पर या मुख्यालाय पर विहित रीति से जांच करेगा और संबंधित पक्षों या उनके प्राधिकृत अभिकर्ता को सुनने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित करेगा जैसे कि वह ठीक समझे और उस दशा में जब वह पत्तों को अस्वीकार करना अनुचित पाता हो—

(क) यदि वह प्रश्नाधीन पत्तों को अब भी बीड़ियों के निर्माण के लिए उपयुक्त समझता हो, यथास्थिति पदाधिकारी या अभिकर्ता को उसका क्रय करने के आदेश दे सकेगा और परिवेदित (दुखी) व्यक्ति को ऐसा अतिरिक्त प्रतिकर जैसा कि वह उचित समझे, और जो उसे पत्तों के देय मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक न हो, भुगतान के लिए निर्देश दे सकेगा।

(ख) यदि वह समझे कि प्रश्नाधीन पत्ते, इस बीच बीड़ी के निर्माण के लिए अनुपयुक्त हो गए हैं तो परिवेदित को ऐसी रकम जो कि उपधारा (1) के अधीन उसको ऐसे पत्तों के देय मूल्य से कम न हो, तथा ऐसे व्यक्ति के द्वारा उठाई गई हानि के लिए क्षतिपूर्ति धन के रूप में ऐसा अग्रेतर प्रतिकर, जैसा कि वह उचित समझे और जो ऐसे मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक न हो, भुगतान के लिए निर्देश दे सकेगा।

(4) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लिया जायेगा कि यदि राज्य शासन, उसके प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता को यह विश्वास करने के कारण हों कि विक्रय के लिये प्रस्तुत किये गये पत्ते राज्य शासन के वनों या भूमियों के हैं, तो ऐसे पत्तों को अधिकार में लेने और केवल ऐसे संग्रहण संबंधी व्ययों के, यदि कोई हों, जैसे कि राज्य शासन समय-समय पर अवधारित करे, भुगतान करने में कोई रुकावट आती है :

किन्तु किसी विवाद की दशा में, वन मण्डलाधिकारी (D.F.O.) या ऐसा अन्य पदाधिकारी, जो कि उपधारा (2) में उल्लिखित किये गये रूप में इस संबंध में विशिष्ट रूप से सशक्त कर दिया जावे, उसमें उपबंधित रीति में उसे सुनेगा तथा उसका निपटारा करेगा।

टिप्पणी–धारा 9

धारा 9 (2) के अधीन अधिसूचना क्र. 247-X-65 दि.12-1-1965 (म.प्र. राजपत्र-असाधारण, दि. 12-1-65 पृष्ठ 34- द्वारा कार्यवाही की जाने के लिये समस्त रेन्ज आफीसर्स को राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया है।

धारा 10. रजिस्ट्रीकरण - राज्य शासन को छोड़कर तेन्दू पत्तों का अन्य उगाने वाला, यदि यह संभावना हो कि वर्ष के दौरान, उसके द्वारा उगाये पत्ते का परिणाम ऐसे परिमाण से जो विहित किया जावे, अधिक हो जावेगा, स्वयं को विहित रीति से रजिस्ट्रीकृत करा लेगा।

धारा 11. बीड़ियों के निर्माताओं तथा तेन्दू पत्तों के निर्यातक का रजिस्ट्रीकरण - (1) बीड़ियों का प्रत्येक निर्माता तथा तेन्दू पत्ते का प्रत्येक निर्यातक ऐसी कालावधि के भीतर, ऐसी फीस की देनगी पर ऐसी रीति में जैसी कि निहित की जावे, स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करा लेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया बीड़ियों का प्रत्येक तथा तेन्दू पत्तों का प्रत्येक निर्यातक ऐसे प्ररूप में, ऐसे दिनांक तक, तथा ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाय, घोषणा प्रस्तुत करेगा।

धारा 12. पत्तों का निवर्तन (Disposal of Leaves) व्ययन- इस अधिनियम के अधीन, राज्य शासन द्वारा या उनके पदाधिकारी या अभिकर्ता द्वारा क्रय किये तेन्दू पत्तों ऐसी रीति में, जैसा कि राज्य शासन निर्देश दे, बेच दिये जावेंगे या उनका अन्यथा निवर्तन कर दिया जायेगा।

टिप्पणी - धारा 12

(1) सरकार संविदात्मक जब करार करती है तब तेंदू पत्ते के व्ययन (Disposal) के प्रयोजन के लिए उसे समस्त संबंधित व्यक्तियों से एक ही परिस्थिति और अनुरूपता में समान व्यवहार

और समान अवसर देना होगा। उसे क्रेताओं में ऐसा वर्गीकरण नहीं करना होगा कि जिन्होंने विगत वर्ष में उसके सन्तोषजनक कार्य किया केवल उन्हें यूनिटों का डिस्पोजल किया जाय। सरकार अन्यों को ऐसे कार्यवाही में भाग लेने से वंचित नहीं रख सकती, इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 19 (1) (9) में गारन्टी दी गई है। तेन्दू पत्तों के विक्रय की स्कीम में विभेदकारी नीति नहीं अपनाई जा सकती। देखना यह होगा कि एक ओर जहां राज्य शासन को व्यापार से पूरा लाभ मिले वहीं दूसरी ओर तेंदू पत्ते उगाने वालों तथा संग्रहकर्त्ताओं के श्रम का शोषण न हो। वर्गीकरण में कानून के उद्देश्य के प्रति न्यायोचित एवं युक्तियुक्त सम्बन्ध रहना चाहिये ***[जवाहर एण्ड कं. कटनी*** वि. *म.प्र. राज्य, ए.आय.आर. 1981 म.प्र. 214 = 1981 म.प्र. ला.ज. 519 = 981 ज.ला.ज. 580]*

तेंदू पत्ता फारेस्ट यूनिट की पुनर्नीलामी के विनिश्चय पर पूर्व के विक्रय में सबसे ऊंची बोली के निविदा पेश करने वाले की जिम्मेवारी समाप्त हो जाती है और पूर्व के विक्रय की कार्यवाही शेष नहीं रहती जब कि सबसे ऊंची बोली की निविदा स्वीकृत न करके पुनर्नीलामी की गई हो, पुनर्नीलामी पर विक्रय धन की कमी को पूर्व बोली लगाने वाले से मांगा जाना और वसूली की कार्यवाही अवैध है- तथा उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना काली सूची में दर्ज करना भी अवैध है- ***श्रीमती शारदा सवानी*** वि. ***राज्य म.प्र., ए.आय.आर.*** *1987 **म.प्र.** 281 (283)*

***धारा 12-क. अतिरिक्त तेन्दू पत्तों का पुनर्विक्रय -** (1) कोई बीड़ियों का निर्माता या तेन्दू पत्तों का निर्यातक, जिसके पास उसकी आवश्यकता या निर्यात के पश्चात् अतिरिक्त मात्रा में तेन्दू पत्ता बचा रह जाता हो, तेन्दू पत्तों के ऐसे अतिरिक्त बचे तेन्दू पत्तों का पुनर्विक्रय राज्य शासन की या ऐसे किसी पदाधिकारी की जो इस संबंध में प्राधिकृत किया जाए, अनुज्ञा के बिना नहीं करेगा, वह व्यक्ति, जो ऐसे तेन्दू पत्तों का पुनर्विक्रय करने का अभिप्राय रखता हो राज्य शासन अथवा प्राधिकृत को ऐसे प्ररूप में, ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करते हुए जैसा कि विहित किया जाए, आवेदन करेगा।

(2) कोई बीड़ियों का निर्माता या तेन्दू पत्तों का निर्यातक जो इस धारा की उपधारा (1) में वर्णित तेन्दू पत्तों में ऐसे अतिरिक्त परिमाण का क्रय करने का अभिप्राय रखता हो, उसका क्रय राज्य शासन की या ऐसे किसी प्राधिकारी की, जो इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किया जाए, अनुज्ञा के बिना नहीं करेगा। ऐसा बीड़ियों का निर्माता या तेन्दू पत्तों का निर्यातक राज्य शासन को या ऐसे किसी पदाधिकारी को, जो इस संबंध में प्राधिकृत किया जाए, ऐसे प्ररूप में, ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करते हुए जैसा कि विहित किया जाए, आवेदन करेगा।

(3) तेन्दू पत्तों का पुनर्विक्रय करने के उपधारा (1) के अधीन आवेदन तथा ऐसे तेन्दू पत्तों का क्रय करने के लिए उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, राज्य शासन या प्राधिकृत पदाधिकारी क्रेता द्वारा ऐसी राशि की, जो कि विहित की जाए, देनगी की जाने पर, उन दोनों को लिखित में अनुज्ञा दे सकेगा।

टिप्पणी धारा 12 A

*(1) संशोधन अधिनियम क्र.7/1989

(2) एक मात्र निविदाकार ने निविदा खोली जाने के पूर्व उसे विद ड्रा (Withdraw) करने की अर्जी पेश की किन्तु निविदा खोली गई। निविदा पेश करने वाले ने करारनामा नहीं निष्पादित कराया ऐसी अवस्था में निविदा की शर्तें विधिक स्वरूप ग्रहण नहीं कर पाई और संविधान के अनुच्छेद 299 के अनुसार संविदा के अभाव में तेन्दू पत्ते के पुनर्नीलामी के विक्रय मूल्य की अन्तर राशि धारा 82 के अधीन वसूली योग्य नहीं– ***राजेन्द्र कुमारी वर्मन*** वि. ***म.प्र. राज्य-ए.आय.आर.*** *1972 **म.प्र.** 131= 1972 **म.प्र.ला.ज.** 648 = 1972 **ज.ला.ज.** 345 (**तथा** - 1980 (1) **म.प्र. वीकली नोट** 303)* ।

धारा 13. शक्तियों का प्रत्यायोजन (Delegation of Power)- राज्य शासन, आदेश द्वारा, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सहायक वन संरक्षण से अनिम्न श्रेणी के किसी भी पदाधिकारी या प्राधिकारी को अपनी किन्हीं भी शक्तियों से या कृत्यों से प्रत्यायोजित कर सकेगा जो कि उन्हें ऐसी शर्तों या निबन्धनों के अधीन, जैसी की राज्य शासन